

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4/4/2019

क्रमांक एफ-3(ए)83/2014/ए-1/दो
प्रति,

✓ पुलिस अधीक्षक
जिला - इन्दौर
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिका- शिवानी आनंद पुत्री श्री
हीरानंद निवासी जिला इंदौर।


संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक
2018(1848/2018,) दिनांक 27.08.2018

—00—

2/ पाक नागरिका शिवानी आनंद पुत्री श्री हीरानंद को दिनांक 30.04.2013 से 11.04.2015
तक एवं दिनांक 11.04.2015 से 30.04.2016 तक एवं तथा दिनांक 30.04.2016 से 30.04.2021 तक
अच्छे व्यवहार के अधार पर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी
जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(श्रीदास)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग
भोपाल, दिनांक / / 2019

क्रमांक एफ-3(ए)83/2014/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक
विशा/20/पाक/2018-20(197) दिनांक 01.09.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।
- 2 आवेदक शिवानी आनंद पुत्री श्री हीरानंद निवासी 402-बी ओरेंज काउंटी, 153 आदंश ग्राम
जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3 सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

